LDC/UDC

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2012/अग्रहायण 16, 1934

No. 628] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2012/AGRAHAYANA 16, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 883(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग), साधारण केन्द्रीय सेवा (वर्ग III और वर्ग IV पद) भर्ती नियम, 1979 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग प्रवर्तन निदेशालय उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक समूह "ग" भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, उसका वेतन बैंड और ग्रेड या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों के किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. उच्च श्रेणी लिपिक	92*(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	[वेतन बैंड-1(5200-20200 रू0) + ग्रेड वेतन 2400 रू0]	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा: (i) प्रवर्तन निदेशालय में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक (वेतन बैंड-1,5200-20200 रू0+ग्रेड वेतन 1900 रू0) की 75 प्रतिशत प्रोन्नति जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख से उस श्रेणी में कम से कम 8 वर्ष सेवा की है। (ii) प्रवर्तन निदेशालय के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक(वेतन बैंड-1, 5200-20200 रू0+ग्रेड वेतन 1900 रू0) के सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 25 प्रतिशत प्रोन्नति जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख से उस श्रेणी में कम से कम पॉच वर्ष सेवा की है।	समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (i). प्रवर्तन निदेशक - अध्यक्ष (ii). विशेष या अपर प्रवर्तन निदेशक-सदस्य (iii). उप सचिव या निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय -सदस्य **टिप्पणी** : जहॉं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों प्रवर्ग के सदस्य कोई नहीं हैं वहॉं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के भी एक समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. अवर श्रेणी लिपिक	82*(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-1(5200-20200 रू0)+ग्रेड वेतन 1900 रू0	अचयन	आयु 18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पणी:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी (जहाँ कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाती है वहाँ आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता। (ii) केवल कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (अनुज्ञात समय 10 मिनट) (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रैशन के औसत पर प्रति घंटा 10500 की डिप्रैशन/प्रतिघंटा 9000 की डिप्रैशन के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)

(8)	(9)	(10)
हॉं, स्तंभ (ii) में उपदर्शित सीमा तक।	दो वर्ष	(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । **प्रोन्नति द्वारा:-** (ii) 10 प्रतिशत प्रवर्तन निदेशालय में ग्रेड वेतन 1800रू0 में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारिवृन्द की प्रोन्नति जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है। (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आयु 50 वर्ष है।) (iii) 5 प्रतिशत रिक्तियॉं ऐसे समूह 'ग' कर्मचारिवृन्द से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएगी जिन्होंने गेड वेतन 1800 रू0 वाले पदों पर पॉंच वर्ष नियमित सेवा की है।

(11)	(12)	(13)
स्तंभ (10) में कथित अनुसार	समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	लागू नहीं होता

4531 GI/12-2

	(i). प्रवर्तन निदेशक - अध्यक्ष (ii). विशेष या अपर प्रवर्तन निदेशक- सदस्य (iii). उप सचिव या निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय - सदस्य टिप्पणी : जहाँ अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों प्रवर्ग के सदस्य कोई नहीं हैं वहाँ अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के भी एक समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	

[फा. सं. ए-12018/5/2012-एडी.ईडी]

आर. एन. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2012

G.S.R. 883(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Enforcement, Cabinet Secretariat (Department of Personnel), General Central Service (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment of Group 'C' posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in the Directorate of Enforcement, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Upper Division Clerk & Lower Division Clerk, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale .**—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Pay Band And Grade Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Upper Division Clerk.	92*(2012) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, (Ministerial)	[PB-1 (Rs. 5200-20200) and GP Rs. 2400]	Non-Selection	Not Applicable	Not Applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee	Period of probation, if any	**Method of recruitment** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of Recruitment by promotion or deputation or transfer grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruits
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Not applicable	Two years	Promotion.	**By Promotion:-** (i) 75% by Promotion of Lower Division Clerk (Pay Band-1, Rs. 5,200- 20,200/- and Grade Pay Rs.1,900/-) in the Directorate of Enforcement having at least 8 year's service in the grade rendered from the date of appointment thereto on a regular basis. (ii) 25% promotion on the basis of Limited Competitive Examination confined to Lower Division Clerks (Pay Band-1, Rs. 5,200- 20,200/- and Grade Pay Rs.1,900/-) of the Directorate of Enforcement having at least five	Group 'C' Departmental Promotion Committee. comprising of:- (i) Director of Enforcement- (Chairperson) (ii) Special or Additional Director of Enforcement- (Member) (iii) Deputy Secretary or Director, Department of Revenue, Ministry of Finance-(Member) **Note:** Where none of the members belong to Scheduled Castes	Not Applicable.

4531GI/12-3

			years service in the grade rendered from the date of appointment thereto on a regular basis .	or Schedules Tribes category, one Scheduled Castes or Scheduled Tribes Group A Officer shall also be associated as a Member of the DPC.	

2.

1	2	3	4	5	6	7
Lower Division Clerk.	82*(2012) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, (Ministerial)	[PB-1 (Rs. 5200-20200) and GP Rs. 1900]	Non-Selection	Between 18 to 27 years of age (Relaxable for Government Servants up to 40 years, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be fixed by Staff Selection Commission (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.)	i) 12th Class or equivalent qualification from a recognized board or University. ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi only on Computers. (Time allowed 10 minutes) (35 Word Per Minute and 30 Word Per Minute correspond to 10500 Key Depressions Per Hour /9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 key depressions for each word)

8	9	10	11	12	13
Yes., to the extent indicated in column 11.	Two Years	(i)85% By Direct Recruitment through Staff Selection Commission **By Promotion :-** (ii) 10% by Promotion of Group 'C' Staff in the Grade Pay Rs.1,800/- in the Directorate of Enforcement and who possesses 12th Class Pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of Departmental Qualifying Examination failing which by Direct Recruitment .The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for Scheduled Castes/Scheduled Tribes. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group C Staff who have five years regular service in posts with Grade Pay Rs.1,800/-.	As stated in Column 10	Group 'C' D.P.C. comprising of:- (i) Director of Enforcement-(Chairperson) (ii) Special or Additional Director of Enforcement-(Member) (iii) Deputy Secretary or Director, Department of Revenue, Ministry of Finance- (Member) **Note:** Where none of the members belong to Scheduled Castes or Schedules Tribes category, one Scheduled Castes or Scheduled Tribes Group A Officer shall also be associated as a Member of the Departmental Promotion Committee.	Not Applicable.

[F. No. A-12018/5/2012-Ad. ED]
R.N. SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.